न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 164/2018 दायरा दिनांक : 26.11.2018

उनवान

सरदार सिंह आत्मज शिवसिंह, उम्र 80 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बेडला, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार.

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक : 07.01.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – ..../2014 निर्णय दिनांक 11.07.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बेडला पटवार मण्डल बर्डिया बीरजी, तहसील गंगधार में हरिसिंह आत्मज गुलाबसिंह,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

सत्यमेव जयते
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

जाति राजपूत निवासी बेडला की खातेदारी में खाता संख्या 38 के अनुसार कुल रकबा 234 बीघा 14 बिस्वा आराजी दर्ज रही है । इस भूमि में खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि भी रही है । दिनांक 04.09.1966 को प्रार्थी अपीलांट श्रुषा चाकरी से खुश होकर खातेदार हरिसिंह ने बिना प्रतिफल के प्रार्थी अपीलांट को आराजी दान कर दी। दान पत्र का पंजीयन दिनांक 05.09.1966 को उप पंजीयक गंगधार के यहां पर तस्दीक किया गया । जब से ही उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है । खातेदार दानदाता हरिसिंह की खातेदारी की भूमि को पुनः सीलिंग एक्ट के तहत अधिगृहित किया गया जिसका आदेश उपखण्ड अधिकारी झालावाड के द्वारा जारी आदेश कमांक 584/विविध/78 दिनारंक 16.01.1978 से आराजी खसरा नम्बर 1052 रकबा 32 बीघा व खसरा नम्बर 1932 रकबा 16 बीघा कुल 48 बीघा को सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित की गई तथा शेष आराजी 1 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी अपीलांट के खाते दर्ज की गई जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 1932/1 दर्ज हुआ । अधिग्रहण खसरा नम्बर 1932 रकबा 16 बीघा भूमि का गलत अधिग्रहण किया गया है । क्योंकि खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा भूमि प्रार्थी अपीलांट को दान की रही है जो प्रार्थी अपीलांट को खातेदार हरिसिंह ने दान दी है तथा वक्त दान से कब्जा प्राप्त किया गया । खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा का सैटलमेंट के पश्चात नया खसरा नम्बर हाल 1932 बना है तथा रकबा भी पुराना 13 बिस्वा का 1 बीघा का रहा है जो वर्तमान में 20 बिस्वा का 1 बीघा होने से दान भूमि आराजी 27 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर राज. सरकार के सीलिंग भूमि में दर्ज की गई तथा शेष आराजी खसरा नम्बर 1932/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

में दर्ज की गई जो विधि विरूद्ध होकर गलत है क्योंकि यह भूमि 16 बीघा जो सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अवाप्त गलत की गई है । दिनांक 16.01.1978 को दानकर्ता हरिसिंह की खातेदारी की भूमि को पुनः सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित किया गया । इसमें आराजी खसरा नम्बर 1932 रकबा 16 बीघा भूमि को अवाप्ति के आदेश गलत दिये गये थे क्योंकि जो भूमि खसरा नम्बर 1932 रकबा 16 बीघा भूमि प्रार्थी अपीलांट को दान में मिली थी इस कारण भूमि को राज. सरकार दर्ज करना गलत था क्योंकि इस कार्यवाही के दौरान प्रार्थी अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सक्षम न्यायालय में ऐसी कोई सूचना अवाप्ति भूमि बाबत प्रार्थी अपीलांट को दी गई और ना ही अवाप्ति भूमि हेतु सूची जो खातेदार हरिसिंह द्वारा पेश की गई उसमें प्रार्थी अपीलांट की स्वीकृति नहीं रही । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश पत्रावली पर पत्र संग्रहसार एवं प्रस्तुत कथनों, तथ्यों के विपरीत है । प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सभी राजस्व दस्तावेज/रेकार्ड प्रस्तुत किये । अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा दिनांक 05.09.1966 को दान पत्र से बिना प्रतिफल के प्राप्त की । वक्त दान से ही कब्जा प्रार्थी अपीलांट का चला आ रहा है । बाद सैटलमेंट होने पर रकबा का नाम 20 बिस्वा का 1 बीघा होने से नया खसरा नम्बर 1932 रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा हुआ । बाद में खसरा नम्बर परिवर्तन होने एवं हरिसिंह की भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत ली गई है उसमें प्रार्थी अपीलांट की भूमि के नम्बर जानबूझकर हरिसिंह दानकर्ता ने अपनी आराजी को बचाकर अपीलांट के खसरा नम्बर 1932 रकबा 16 बीघा

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

भूमि सीलिंग में दी गई है । यह कार्यवाही प्रार्थी अपीलांट की जानकारी अनुमति के बिना की जाने से शून्य है । वर्तमान में रकबा 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि जो 29 बीघा 17 बिस्वा की बनी है । प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में निरन्तर चली आ रही है । भूमि दान सन् 1966 में किया गया है जिसके नामान्तरकरण नं. 145 दिनांक 29.08. 1966 खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा दर्ज की जाकर भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज की गई । इसके विपरीत सीलिंग में एक्वायर 16.01.1978 को की गई । यह आदेश दोषपूर्ण एवं शून्य है।अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय, सिद्धांतों, नियमों के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हरिसिंह आत्मज गुलाबसिंह, जाति राजपूत निवासी बेडला की खातेदारी में खाता संख्या 38 के अनुसार कुल रकबा 234 बीघा 14 बिस्वा आराजी दर्ज रही है । खसरा नम्बर 1640 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा अपीलांट को दिनांक 04.09.1966 को हरिसिंह ने दान पत्र से दान कर दी । जिसका पंजीयन हो चुका है । सीलिंग एक्ट में हरिसिंह की भूमि को अधिग्रहित किया । खसरा नम्बर 1640 हमारा नम्बर भी सीलिंग में दे दिया जिसमें 16 बीघा सीलिंग एक्ट में आराजी चली गई । वादग्रस्त आराजी हमारे कब्जे में है । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, वाद अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है । जब तक दावा चले तब तक हमें बेदखल नहीं करें । रिकार्ड की स्थिति यथावत रहे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि सीलिंग एक्ट लागू था । दान नहीं कर सकता था, दान अवैध व शून्य है । धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील खारिज करें । हरिसिंह अपने हिस्से की आराजी को ही दान कर सकता था ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । उपखण्ड अधिकारी,गंगधार द्वारा पारित आदेश उचित व विधिनुसार है इसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निरस्त की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा